


दिनांक - 17-07-2019

// दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित फीस संरचना संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचना //

ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये निजी दंत महाविद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शैक्षणिक शुल्क के बराबर है जो कि वर्तमान में रू० 1,00,000/- (रूपये एक लाख) है। पूर्व में दिनांक 01.07.2019 को प्रदर्शित किये फीस चार्ट में निजी दंत महाविद्यालयों में पोस्ट मेट्रिक ओबीसी छात्रवृत्ति कॉलम में दर्शायी गयी छूट, निजी संस्था का निर्धारित शैक्षणिक शुल्क है, जो की त्रुटिवश टंकित हो गया था।

अतः ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी संचालनालय की वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रदर्शित नवीन फीस संरचना के अनुसार शुल्क जमा कर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। ऐसे समस्त ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्होंने निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में पूर्व प्रदर्शित फीस संरचना के आधार पर पोस्ट मेट्रिक ओबीसी छात्रवृत्ति का लाभ लेकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की है, उन्हें स्वयं आवंटित संस्था में उपस्थित होकर दिनांक 21/07/2019 तक संशोधित फीस संरचना के अनुसार पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य है अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

for  17/7/19  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्य प्रदेश